जीविका
गरीबी निवारण हेतु बिहार सरकार की पहल
बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार
बिहार सरकार
प्रथम तल, विद्युत भवन -2, बेली रोड, पटना – 800 021, दूरभाष :+91-612-250-4980, फैक्स : +91-612-250 4960, ईमेल :: info@brlp.in, वेबसाईट : www.brlp.in

Ref. No. : BRLPS/Proj/77/08/4786 **Dated :** 03.03.2017

कार्यालय आदेश

8 मार्च 2017 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जीविका के संकुल स्तरीय संघ/प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम आयोजन हेतु कार्यालय आदेश BRLPS/Project/77/08/4715 दिनांक–23.02.2017 को निर्गत किया गया था। उक्त कार्यक्रम में निम्न अन्य गतिविधियाँ किया जाना है :–

1. वातावरण निर्माण एवं जागरूकता हेतु जीविका राज्य कार्यालय द्वारा भेजी गयी मद्य निषेध से सम्बंधित गानों का उपयोग किया जायेगा ।
2. मद्य निषेध अभियान द्वितीय चरण में प्रखंड/पंचायत स्तर पर बेहतर कार्य करने वाले पांच साक्षरता कर्मियों को जीविका द्वारा सम्मानित किया जायेगा जिसकी सूची प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से समन्वय कर प्राप्त होगी ।*
3. प्रखंड स्तर के कार्यक्रम में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड कार्यक्रम समन्वयक, नवसाक्षर महिलाएँ इत्यादि की उपस्थिति सुनिश्चित करायेंगे ।
4. प्रखंड स्तर पर होने वाले कार्यक्रम में हस्ताक्षर कैनवास लगाया जायेगा । हस्ताक्षर कैनवास हेतु कपड़ा/फ्लैक्स एवं मार्कर पेन शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।*

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के आदेशानुसार

03.03.2017

(कुमार अंशुमाली)
निदेशक

संलग्नक :– 1. शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक–13/प्रा०01–12/2016/443*
2. हस्ताक्षर कैनवास डिजाइन

प्रतिलिपि :– 1. सभी सम्बंधित पदाधिकारी– राज्य कार्यालय
2. सभी सम्बंधित पदाधिकारी– जिला कार्यालय
3. सभी सम्बंधित पदाधिकारी–प्रखंड कार्यालय को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

पत्रांक–13/प्रा0 01–12/2016 ...543.../

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

जितेन्द्र श्रीवास्तव,
सचिव, शिक्षा विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी,
सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता),
सभी मुख्य कार्यक्रम समन्वयक (साक्षर भारत),
सभी सदस्य, राज्य संसाधन समूह।

पटना, दिनांक 02/03/17

विषय : मद्य निषेध अभियान द्वितीय चरण अन्तर्गत 08 मार्च, 2017 (अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस) के आयोजन एवं प्रखण्ड स्तर पर सिग्नेचर कैनवास अभियान के संबंध में।

प्रसंग : पत्रांक–2609 दिनांक–07.12.2016।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि उक्त विषय के आलोक में संदर्भित पत्र का अवलोकन करना चाहेंगे। मद्य निषेध अभियान द्वितीय चरण अन्तर्गत 08 मार्च, 2017 (अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस) के अवसर पर सभी प्रखण्डों में एक सिग्नेचर कैनवास लगाकर समाज के सभी वर्गों से नशा मुक्ति के पक्ष में हस्ताक्षर करवाना है। यह कार्यक्रम सभी प्रखण्ड मुख्यालय में किसी सार्वजनिक स्थल पर आयोजित किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि इस दिवस अर्थात् 08 मार्च, 2017 को जीविका द्वारा सभी प्रखण्ड मुख्यालय में "नशा मुक्ति एवं स्वच्छता विषय पर" एक दिवसीय आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर जीविका द्वारा अपने कर्मियो (दीदी) के साथ–साथ मद्य निषेध अभियान द्वितीय चरण में प्रखण्ड/पंचायत स्तर पर बेहतर कार्य करने वाले पाँच साक्षरता कर्मियों को भी सम्मानित किया जायेगा।

इस संबंध मे आपको निदेशित किया जाता है कि प्रखण्ड संचालन समिति से समन्वयन बनाकर प्रखण्ड/पंचायत स्तर की पाँच सक्रिय कार्यकर्त्ता का नाम डी0पी0एम/बी0पी0एम को 05.03.2017 तक उपलब्ध करा दें। साथ ही आप अपने स्तर से सुनिश्चित हो कि 08 मार्च, 2017 (अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस) पर आयोजित इस प्रखण्ड स्तरीय कार्यक्रम में बडे पैमाने पर नवसाक्षर महिलाएँ, प्रेरक, प्रखण्ड कार्यक्रम समन्वयक, प्रखण्ड के0आर0पी, टोला सेवक एवं शिक्षा स्वयंसेवी बडी संख्या मे भाग ले एवं सिग्नेचर कैनवास पर नशा मुक्ति के पक्ष में अपना हस्ताक्षर दर्ज करें। सिग्नेचर कैनवास का डिजाईन इस पत्र के साथ संलग्न है।

इसी संदर्भ में सुझाव है कि जिला स्तर पर 08 मार्च, 2017 (अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस) के अवसर पर "नशा मुक्ति" विषय पर आधे दिन का गोष्ठी आयोजित करें। इस गोष्ठी में अध्यक्ष, जिला परिषद, जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, उत्पाद अधीक्षक, सभी जिला

पार्षद, जिला स्तरीय जीविका के पदाधिकारी एवं कर्मी तथा जिलास्तरीय साक्षरता कर्मी, स्थानीय पत्रकार, बुद्धजीवियों को आमंत्रित किया जाय।

प्रखण्ड स्तरीय इस आयोजन पर आने वाला व्यय मद्य निषेध द्वितीय चरण के विमुक्त राशि से किया जायेगा। इस प्रसंग में संदर्भित पत्र का अवलोकन किया जाय। द्वितीय चरण में विमुक्त की गयी राशि में जिला स्तरीय निबंध लेखन, चित्रांकन एवं भाषण प्रतियोगिता मद में 40000/– (चालीस हजार) रुपये की राशि मद में उपलब्ध कराई गयी है। इसी विमुक्त की गई राशि से प्रति प्रखण्ड सिग्नेचर कैनवास के कपड़ा/फ्लैक्स के लिए 500/– (पाँच सौ) रुपये एवं मार्कर पेन के लिए प्रति प्रखण्ड 100/– (सौ रुपये) (500+100=600) की राशि दिनांक–06.03.2017 तक संयोजक प्रखण्ड संचालन समिति को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। कार्यक्रम के समाप्ति के बाद सभी प्रखण्डों के सिग्नेचर कैनवास को जिला कार्यालय में दूसरे दिन मंगवाना भी सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन

ह0/–
(जितेन्द्र श्रीवास्तव)
सचिव, शिक्षा विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 543/ पटना, दिनांक 02-03-17

प्रतिलिपिः सभी जिला पदाधिकारी/मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, जीविका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2/3

सचिव, शिक्षा विभाग,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार

मद्य निषेध अभियान द्वितीय चरण– 2017

08 मार्च, 2017

(अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस)

सिग्नेचर कैनवास (पट्टीका)

प्रखण्ड – ....

जिला– ....

आयोजक

शिक्षा विभाग।

नशा मुक्ति के पक्ष में :

महात्मा गांधी ने कहा था –

"शराब से शरीर नष्ट होता है और आत्मा भ्रष्ट होती है।

शराब का सेवन करने वाला इंसान हैवान हो जाता है।।

हम समर्थन करते हैं :–